

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक-53/S.W./F-33/2026

देवास, दिनांक-25.08.2026

:0: कार्य विभाजन संशोधन आदेश-(1) :0:

इस कार्यालय द्वारा जारी नवीन कार्य विभाजन आदेश क्र०-52/S.W./F-33/2026 दिनांक 24.08.2026 में टिप्पणी लेख के कण्डिका क्रमांक-3-(iii) के पश्चात कंडिका क्रमांक iv संशोधन के माध्यम समाविष्ट की जाती है, जो निम्नानुसार है:-

“तहसील खातेगांव (सत्र खण्ड) के अन्तर्गत, समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित सभी प्रकरण-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव एवं शेष अन्य सभी अपराधों से संबंधित समस्त प्रकरण-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव के न्यायालय में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पण उपरांत प्रेषित किए जाएंगे।”

यह आदेश, कार्य विभाजन आदेश क्र०-52/S.W./F-33/2026 दिनांक 24.08.2026 का अंग रहेगा ।


25-08-2026
(कपिल मेहता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)